न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 4/2015

प्रार्थीगण :

1. पाबुराम पुत्र श्री शिवदानराम
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री शिवदानराम
3. भारमल पुत्र श्री शिवदानराम
4. चम्पा पुत्री श्री शिवदानराम
5. सोहनी पुत्री श्री शिवदानराम
6. सायरी पुत्री श्री शिवदानराम
7. अणची पुत्री श्री शिवदानराम

जातियान विश्नोई निवासीगण रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ भाहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. हरभजनराम पुत्र श्री जैताराम
2. हड़मानराम पुत्र श्री जैताराम
3. पाबुराम पुत्र श्री जैताराम
4. गोपाराम पुत्र श्री जैताराम

सभी जातियान विश्नोई निवासीगण रामड़ावास कलां तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर।

5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद फारूख खान अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 19.07.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम रामड़ावास कलां तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 871 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि स्थित है। प्राथीगण के खातेदारीसुदा खेत में आने जाने हेतु ग्राम रामड़ावास कलां से जाटियावास जाने वाले कटाणी रास्ता के चिपते पुर्व में स्थित ख0न0 872 की उत्तरी पुर्वी सीमा के अंदर होता हुआ कदमी रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 871 में पीढ़ीयों से चलता आया है। उक्त कदमी रास्ता की चौड़ाई करीब 20 फिट है। उक्त कदमी रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है, जिस कदमी रास्ते को आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। संलग्न नजरी नक्शे को प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग माना जावें। खेत खसरा नम्बर 872 अप्रार्थीगण व शिवलाल पुत्र श्री जैताराम की संयुक्त खातेदारी भूमि है। शिवलाल पुत्र जैताराम लाऔलाद फौत हो चुके है इसलिए उक्त प्रार्थनापत्र में पक्षकार संयोजित नही किया है। खेत ख0न0 872 अप्रार्थी हरभजन के बंट में आया हुआ है जिसमें अप्रार्थी हरभजन की रहवासीय ढ़ाणी प्रार्थीगण के खेत के चिपते पश्चिम तरफ बनी हुई है। प्रार्थीगण के खेत ख0न0 871 में आने जाने का एकमात्र कदमी रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण के खेत ख0न0 871 के पुर्वी तरफ ग्राम जाटियावास की सरहद आई हुई है एंव उत्तरी तरफ ख0न0 870 की खातेदारी भूमि आई हुई है, पश्चिमी व दक्षिणी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

तरफ अप्रार्थीगण का खेत ख0न0 872 आया हुआ है। ख0न0 872 के बिपते ही पश्चिम में कटाणी रास्ता स्थित है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु पीढ़ीयों से वादग्रस्त कदमी रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पुर्वज करते आये है। वादग्रस्त रास्ता से होकर ट्रेक्टर ट्रोली बेल छकड़ा, वाहन, पशुधन इत्यादि प्रार्थीगण लाते ले जाते रहे है एंव अपने खेत पर काश्त कार्य करते आये है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु एंव आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु पीढ़ीयों से उपयोग उपभोग में आता रहा है। अप्रार्थी संख्या एक हरभजन ने दिनांक 01.01.2015 को प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगें एंव वादग्रस्त रास्ता पर बाड़ वगैराह अप्रार्थी संख्या एक करने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक से समझाईश की एंव निवेदन किया कि वादग्रस्त रास्ता पीढ़ीयों से चलित कदमी रास्ता रहा है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने व आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। आप लोग कदमी रास्ता अवरूद्व मत करों लेकिन अप्रार्थी संख्या एक नही मान रहा है एवं जोर जबरदस्ती कदमी रास्ता को अवरूद्व करने पर आमादा है। जबकि अप्रार्थी संख्या एक को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक मे है क्योकि वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु एकमात्र कदमी रास्ता पीढ़ीयों से विद्यमान रहा है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अगर अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त रास्ता अवरूद्व कर दिया तो प्रार्थीगण को अपुर्णय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में नही आंका जा सकेगा एंव प्रार्थीगण अपने जायज खातेदारी अधिकारो का उपयोग नही कर सकेगें। प्रार्थीगण नियमानुसार लाल स्याही के मध्य दर्शाये वादग्रस्त रास्ता जो ख0न0 872 की भूमि में स्थित है उक्त रास्ते की भूमि की कीमत प्रार्थीगण अदा करने हेतु तैयार है। वादग्रस्त रास्ता को राजस्व नक्शें मे तरमीम किया जावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत ख0न0 871 में आने जाने वाला वादग्रस्त रास्ता घोशित फरमाया जावे व नक्शें में वादग्रस्त रास्ता तरमीम किया जावें एंव अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष मे अता फरमावें ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये जिसमें अप्रार्थीगण के समन बाद तामिल प्राप्त हुए । अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्तता मोहम्मद फारूख खान सिन्धी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है और तथा अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 871 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा जो कि

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि है एवं खसरानम्बर 871 से पहले एवं चिपते हुए खसरा नम्बर 870, 868, 867, 866, व 850 उक्त खसरान प्रार्थी के परिवारजनो के है एवं प्रार्थी ने उक्त पद में जो वर्णन किया है खसरा नम्बर 872 के उत्तरी पूर्वी सीमा के अन्दर कदीमी रास्ता चलता है उक्त कथन गलत अंकित किया है क्योकि खसरा नम्बर 872 अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी है जिसमें हरभनराम की रहवासीय ढाणी बनी हुई है एवं चारो तरफ तारबन्दी की हुई है । खसरा नम्बर 872 में किसी प्रकार का कोई कदीमी रास्ता नही है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध केवल अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में से झुठा कदीमी रास्ता बताकर रास्ता लेने की कुचेष्ठा अदावतीवंश उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि खसरा नम्बर 872 जो कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी कृशि भूमि है । अगर उक्त खसरानम्बर में से रास्ता निकाल दिया तो अप्रार्थी सं. एक का रहना दुर्भर हो जायेगा एंव रास्ता होने के कारण अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होगा । अप्रार्थी सं. एक मजदुरी हेतु अक्सर बाहर रहता है । जिससे परिवार वाले सुरक्षित नही रह सकेगे । खसरा नम्बर 871 में आने जाने का कदीमी रास्ते का वर्णन किया है जो सरासर गलत है । प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तर की तरफ सभी खसरे प्रार्थी के परिवार के है जिससे रामड़ावास से बुचकलां जाने वाली ग्रेवल सड़क से रास्ता वर्तमान में मौजुद है । खसरा नम्बर 872 में किसी प्रकार का न तो आज वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई कदीमी रास्ता चल रहा है न ही पहले अस्तित्व में रहा है । प्रार्थीगण के उत्तर में रास्ता है जो ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ रास्ता है । ऐलानिया धमकी देने का कथन गलत है । अप्रार्थीगण के खसरे में किसी भी प्रकार का रास्ता नही चल रहा है । प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृश्टया मामला बनता है एवं न ही सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण सं. एक से चार के पक्ष में बनता है । अप्रार्थीगण सं. चार का नाम इन्द्राज किया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है । प्रार्थीगण की मन्शां न्यायालय में स्पष्ट जाहिर हो रही है कि बगैर बंटवाड़ा व तरमीम किये हुए मूल खातेदारी की बंटवाड़ा व तरमीम बाकी होते हुए भी प्रार्थीगण किस आधार पर तरमीम करना चाहते है क्योकि उक्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण सं. चार न्यायिक हिरासत में है । जेताराम व अन्य सहखातेदारान के मध्य उक्त खसरे का कानूनी तौर पर बन्टवाड़ा व तरमीम नही हो जाती है तब तक उक्त प्रार्थना पत्र में आदेश करना अप्रार्थीगण सं. चार के कानूनी अधिकारो का हनन होगा एवं अतः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या, बनावटी, आधारहीन, बेबुनियाद तथ्यो पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा के काबिले खारिज किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है ।

अप्रार्थी सं. चार को जेल पर विधिवत् नोटिस भेजे गये एवं जेल से रिहा होने के पश्चात् अप्रार्थी सं. चार के नोटिस तामिल किये गये ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

इसी प्रकार भू. अभिलेख निरीक्षक सालवा खुर्द से मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 18.03.2015 को प्राप्त की गयी जो इस प्रकार से है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 871 में आवागमन बाबत् किसी भी तरफ से कोई कटाणी या सुखाचारी रास्ता नही लगता है । खेत खसरा नम्बर 872 जो कि हरभजराम वगैरा का खेत है जिसमें से होकर हमारे खेत खसरा नम्बर 871 तक कटाणी रास्ता ग्राम रामड़ावासकलां से ग्राम जाटियावास को जाने वाले कटाणी रास्ते से सबसे नजदीकी दूरी का रास्ता दिलाया जावें । नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित रास्ता ही सबसे कम दूरी का तथा सुगम रास्ता है । तत्पश्चात् दिनांक 26.5.2019 को तहसीलदार पीपाड़ शहर से फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी । जिसमें अंकित किया हुआ है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 872 में से रास्ते की मांग की गयी है । खसरा नम्बर 871 में आने जाने हेतु चाहे गये रास्ते से अलावा अन्य नजदीकी कटाणी रास्ता नही है एवं प्रस्तावित रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी, ई, बताया है । रास्ते का प्रस्तावित रकबा 5 बिस्वा बनता है ।

बहस वकुलाय सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं भु अभिलेख निरीक्षक सालवाखुर्द एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पेश मौका फर्द रिपोर्टो एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता को रास्ता घोशित किया जावें जो प्रार्थीगण के खेत में आवागमन का सबसे नजदीकी एवं सुलभतम कम दूरी का रास्ता है । इसी प्रकार अप्रार्थीगण वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया है एव अप्रार्थीगण ने कहा कि तहसीलदार पीपाड़ शहर की फर्द मौका रिपोर्ट में उपस्थित मौतबिरानो द्वारा बताया कि रास्ता बिन्दु एफ से जी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गयी । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, जबाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम रामड़ावास कलां के ख.न. 871 में आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में खसरा नम्बर 872 दर्शाये अनुसार ए बी, सी, डी, ई रास्ता है । जो नजदीकी रास्ता हैं जो दिया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः प्रार्थीगण के खेत ख.न. 871 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 872 में प्रस्तुत कश्मिनर रिपोर्ट में दर्शायें लाल स्याही से दर्शाये मार्क A B C D E रास्ते की 05 बिस्वा भूमि (यानि 0.0404 हैक्टयर) रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। ग्राम रामड़ावास कला के ख.न. 872 में से भूमि की मालियत अनुसार प्रति बीघा कीमत 88958/– रू प्रति हैक्टयर (असिचित) है। रास्ते के काम आई भूमि 05 बिस्वा भूमि की कीमत 3605 /– रू बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगनी कीमत 7210/– रू बनती है। मौका कश्मिनर रिपोर्ट,मौका फर्द व नजरी नक्शा निर्णय का अंग समझा जावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

कि प्रार्थीगण से ₹210/- रू का चैक/डीडी प्राप्त कर अप्रार्थीगण जिनकी भूमि रास्ते के उपयोग में ली गयी उन खातेदारो को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम कर रास्ता खुलवाया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner